न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 08/2019

दायर दिनांक–16.01.2019

1. सहीराम उर्फ शिवराम पुत्र अन्नाराम
2. राजेन्द्र पुत्र अन्नाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण राड़ा की ढाणी तन झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज0।

– आवेदकगण

बनाम

1. कमला देवी स्त्री श्रीचन्द
2. राजेश पुत्र श्रीचन्द
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्रीचन्द
4. सुमन पुत्री श्रीचन्द
5. फुलचन्द पुत्र बिडदाराम
6. रतिराम पुत्र बिडदाराम
7. जगमाल पुत्र बिडदाराम
8. महीपाल पुत्र बिडदाराम
9. सुभिता पत्नी बलदेव

–अनावेदकगण

वकील आवेदकगण : **श्री सुभाषचन्द्र आर्य**
वकील अनावेदकगण : **श्री चन्द्रकांत शर्मा**

प्रार्थना–पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 11.04.2022

आवेदकगण ने एक प्रार्थना पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि आवेदकगण व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 7 राड़ गोत्र के जाट है, जिनकी वंशावली प्रार्थना–पत्र के पैरा नं0 2 में वर्णित होने अनुसार है। आवेदकगण व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 के पास जो कृषि भूमि है वो पैत्रिक सम्पति है जिसे अन्दाजन बांट रखी है जिसमें मकान आदि बनाकर कुंआ बिजली लगाकर रह रहे है।

यह कि भूमि खाता सं0 215 स्थित ग्राम झाझड में खसरा नम्बर 235 रकबा 0.79 हैक्टर में आवेदकगण का 1/6 हिस्सा है, बाकी हिस्सा अन्य रिकॉर्डेड खातेदारो का है, जिन्हे प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया गया है, इस भूमि में आवेदकगण के 1/6 हिस्से का विभाजन करके आवेदकगण को दिया जाये तथा उसके अलग से नम्बर राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जावें। इस भूमि के अन्य खातेदार विभाजन नहीं चाहते है, इसलिये आवेदकगण के हिस्से की भूमि का ही अलग से विभाजन किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:16:24 IST
Reason: Self Attested

यह कि भूमि नया खाता सं0 748 स्थित ग्राम झाझड़ के खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 कुल किता 8 कुल रकबा 5.16 हैक्टर में आवेदकगण का हिस्सा 1/12 अर्थात् 0.43 हैक्टर होता है, बाकी हिस्सा अन्य रिकॉर्डेड खातेदारो का है। आवेदकगण के 1/12 के हिस्से का अलग से बंटवारा किया जाकर उनके नाम किया जावे तथा बाकी हिस्सा अन्य खातेदारो के नाम रखा जावें। प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह कि भूमि पुराने खसरा नम्बर 639, 641 की जमाबन्दी संवत् 2030 से 2033 व इसके पूर्व की जमाबन्दीयों में गुला, अन्ना, सुमेर पुत्र टीकू के नाम के दर्ज थी व इन दोनो खसरा नम्बर का रकबा 12

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

बीघा 8 बीस्वा था तथा पुराने भूमि खसरा नम्बर 643, 648, 649 कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 11 बीस्वा की खातेदारी गुल्ला, अन्ना, सुमेर पुत्र टीकू हिस्सा 1/2 तथा मालाराम, कालू, बेगाराम, मोहन पिता रूपा राम जाट सा.देह हिस्सा 1/2 दर्ज था, परन्तु गत् पैमाईश में इस रिकॉर्ड को गलत बनाकर इन खसरा नम्बर की भूमि के साथ अन्य खसरा नम्बरान को जोड़ दिया गया व रिकॉर्ड में भी परिवर्तन किया गया, जिसको करने का राजस्व अधिकारियों को कोई अधिकार नही था, उन्हे रिकॉर्ड की पुनर्रावृति ही करनी चाहिये थी, आवेदकगण अन्ना के पुत्रान् है, उनको उपरोक्त पुराना खसरा नम्बर में उनका अन्ना के हिस्से की भूमि रिकॉर्ड दुरूस्त करके दी जावे व उसके अलग नम्बर डाले जाये, शेष भूमि हिस्से अनुसार अन्य खातेदारो के नाम रखी जावे। इस भूमि में से सुमेर ने अपने हिस्से में से 0.45 हैक्टर भूमि विक्रय कर दी थी। उपरोक्त पुराने खसरा नम्बर की भूमि में आवेदकगण ने मकान बना रखे है, कुंआ बिजली बना रखा है।

यह कि जमाबन्दी संवत् 2014 से 2017 में भूमि पुराना खसरा नम्बर 637, 439 कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 15 बीस्वा दर्ज है, जो टीकू वल्द त्रिलोका के नाम से है, टीकू वादीगण का दादा था, इस उपरोक्त भूमि पर आज तक कब्जाकाश्त टीकू के वारीसान का ही है, परन्तु भूमि खसरा नम्बर पुराना 637 रकबा 4 बीघा 7 बीस्वा की जमाबन्दी बाद में गलत रूप से हरदेवा व भोला पिता नोपाराम के नाम दर्ज कर दी जो गलत की है। इस भूमि पर पहले टीकूराम का कब्जा था, टीकूराम के फौत होने के बाद इस भूमि पर कब्जा टीकूराम के वारीसान गुल्ला, अन्ना व सुमेर का रहा तथा अब इस भूमि पर अन्ना के वारीसान आवेदकगण तथा गुल्ला के वारीसान प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 तथा सुमेर के वारीस प्रतिवादी नं0 4 का कब्जा काश्त है। यह भूमि गत् पैमाईश में अन्य खसरा नम्बरान् में मिला दी गई जो राजस्व अधिकारियों की गलत कार्यवाही है। भूमि पुराना खरा नम्बर 637 रकबा 4 बीघा 7 बीस्वा को आवेदकगण तथा प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 की खातेदारी काश्त की घोषित की जाकर आवेदकगण को इस भूमि में उनके 1/3 हिस्से का विभाजित करके दिया जावें तथा उसके अलग बटा नम्बर डाले जावें।

यह कि राजस्व अधिकारियों ने गलत तरीके से गलत रिकॉर्ड बनाकर आवेदकगण तथा प्रतिवादीगण की भूमि को एक जगह मिलाकर गलत रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें आवेदकगण अपनी भूमि का सही रिकॉर्ड दुरुस्त करने भूमि का विभाजन करवाने के लिये दावा पेश कर रहे है जो काश्तकार कभी भी कर सकता है।

यह कि आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है, अगर आवेदकगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा तो आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना–पत्र पेशकर अनुतोष चाहा है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि भूमि नया खाता सं0 748 स्थित ग्राम झाझड़ में नया खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 कुल किता 8 कुल रकबा 5.16 हैक्टर में आवेदकगण का हिस्सा 1/12 अर्थात् 0.43 हैक्टर में आवेदकगण के कब्जेकाश्त में किसी तरह की दखलन्दाजी नहीं करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनोदकगण की गई। अनावेदक नं. 1 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रकांत शर्मा उपस्थित आये। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 की
ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र किया
कि प्रार्थना–पत्र की धारा 1 में दावा पेश करना स्वीकार है, बाकी तथ्य जिस तरह से दर्ज है, गलत होने से
अस्वीकार है। आवेदकगण का मामला कमजोर आधारो पर आधारित होने से खारीज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थना–पत्र की धारा 2 का जवाब है कि आवेदकगण ने गलत वंशावली पेश की है।
आवेदकगण ने टीकूराम व रूपाराम की बहनो को पक्षकार नहीं बनाया तथा गुल्ला, अन्ना व सुमेर की बहनो
को भी पक्षकार नहीं बनाया। इस प्रकार आवेदकगण ने गलत वंशावली पेश की है। यह कहना गलत है कि
उक्त भूमि पैत्रिक हो। यह सही है कि मौके पर मालिक काश्त व काबिज
है, यह भी सही है कि मकान, कुंआ व बिजली बना रखी है। इस जमीन से जवाबदेहन्दा का कोई लेना–देना नहीं है। इस

यह कि प्रार्थना–पत्र की धारा 3 में स्थित जमीन से जवाबदेहन्दा को कोई जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में उक्त पैरा अस्वीकार है।
जमीन बाबत् जवाबदेहन्दा को कोई जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में उक्त पैरा अस्वीकार है। ग्राम झाझड़ में खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252,

यह कि प्रार्थना–पत्र की धारा 4 का जवाब है कि ग्राम झाझड़ में खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 कुल किता 8 कुल रकबा 5.16 हैक्टर स्थित है। इस भूमि में सुमेर पुत्र टीकूराम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:16:24 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (प्रा. ट्रे.)
नवलगढ़

1/12 हिस्सा था, जिसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 31.12.99 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा जवाबदेहन्दागण को विक्रय कर दिया व विक्रय–पत्र तस्दीक करवा दिया तथा मौके पर खसरा नम्बर 263 रकबा 0.43 हैक्टर का कब्जा दे दिया जिस पर जवाबदेहन्दागण काबिज काश्त है तथा राजस्व रिकॉर्ड भी जवाबदेहन्दागण के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार खाता सं0 748 में सुमेर के 1/12 हिस्से की 0.43 हैक्टर भूमि जवाबदेहन्दा ने क्रय की तथा बाद खरीद सुमेर ने मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 263 में 0.43 हैक्टर पनर कब्जा दे दिया तथा खाता सं0 220 जिसके नये खसरा नम्बर 367, 368, 369, 370 कुल किता 4 कुल रकबा 3.68 हैक्टर इस भूमि में सुमेर का 7/14 हिस्सा था यानि सुमेर का सम्पूर्ण रकबा 0.61 हैक्टर था, जिसमें से उसने 0.45 हैक्टर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जवाबदेहन्दागण को बेच दिया तथा मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 369 में से 0.45 हैक्टर भूमि पर कब्जा जवाबदेहन्दा को दे दिया, उसके बाद वादीगण जवाबदेहन्दा के पास आये तथा कहा कि आप की जमीन भी दो जगह है और हमारी जमीन भी दो जगह है तो हम आपस में अदला बदली कर लेते है तो आवेदकगण ने जवाबदेहन्दा की खसरा नम्बर 369 की जमीन ले ली तथा इसके बदले में जवाबदेहन्दा को खसरा नम्बर 263 में अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि जवाबदेहन्दा को दे दी। इस प्रकार इस अदला बदली के आधार पर जवाबदेहन्दा खाता सं0 748 के खसरा नम्बर 263 रकबा 0.88 हैक्टर भूमि पर काबिज है तथा आवेदकगण खसरा नम्बर 369 की जवाबदेहन्दा की जमीन अदला बदली के आधार पर काबिज है। इस प्रकार जब खाता सं0 748 के खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 की भूमि में आवेदक ने अपना हिस्सा अदला बदली में जवाबदेहन्दा को सन् 1999 में दे दिया व बदले में 369 की जमीन ले ली तो इस खाते में उनकी ना तो कोई जमीन है और ना ही काश्त व कब्जा है और ना ही हक व हिस्सा है। इसलिये इस भूमि में 1/12 हिस्से का बंटवारा किये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, जब इस जमीन पर आवेदकगण का कोई काश्त, कब्जा है ही नहीं, काश्त व कब्जा जवाबदेहन्दा का है, इसलिये जवाबदेहन्दा को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

यह कि प्रार्थना–पत्र की धारा 5 का जवाब है कि खसरा नम्बर 639 व 641 पुराने जिनके नये खसरा नम्बर 367, 368, 369, 370 स्थित है, इस भूमि में 1/2 हिस्से टीकू का तथा 1/2 हिस्सा माला, कालू, बेगा, मोहन का होना स्वीकार है। इस जमीन में सुमेर का 1/6 हिस्सा था, जिसमें से उसने 0.45 हैक्टर भूमि जवाबदेहन्दा को विक्रय कर दी व खसरा नम्बर 369 में 0.45 हैक्टर का कब्जा जवाबदेहन्दा को दे दिया, जो जवाबदेहन्दा ने आवेदकगण से अदला बदली की तब खसरा नम्बर 369 का रकबा 0.45 हैक्टर आवेदकगण को दे दी तथा बदले में खसरा नम्बर 263 में वादीगण की जमीन जवाबदेहन्दा को दी, इन तथ्यो को आवेदकगण ने जानबूझकर छुपाकर दावे में दर्ज नहीं किया है। आवेदकगण ने क्लीन हैण्ड से वाद व प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया है जो खारीज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थना–पत्र की धारा 6 में दर्ज तथ्यो की जानकारी जवाबदेहन्दा को नहीं है। इस जमीन से जवाबदेहन्दा का कोई संबंध नहीं है, इस पैरा में स्थित जमीन बाबत् जवाबदेहन्दा की ना तो जमीन खरीदी हुई है और ना ही कोई जानकारी है, इसलिये जानकारी के अभाव में उक्त पैरा अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना–पत्र की धारा 7 गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक ने अधूरा व अस्पष्ट वाद पेश किया है, कौनसा रिकॉर्ड सही है, कौनसा गलत है, का अंकन नहीं किया है, यहां तक विवादित भूमि में खसरा नम्बर नये तक वाद में नहीं लिखे है, अदला बदली के आधार पर काश्त व कब्जे का अंकन नहीं किया है, इसलिये रिकॉर्ड दुरूस्ती व विभाजन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिये वाद व प्रार्थना–पत्र खारीज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:16:24 IST
Reason: SelfAttested

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। आवेदकगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त सम्पति पैत्रृक सम्पति है जिसका विधिवत बंटवारा नही हुआ है। ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि भूमि नया खाता सं0 748 स्थित ग्राम झाझड़ में नया खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 कुल किता 8 कुल रकबा 5.16 हैक्टर में आवेदकगण का हिस्सा 1/12 अर्थात् 0.43 हैक्टर में आवेदकगण के कब्जेकाश्त में किसी तरह की दखलन्दाजी नहीं करें।

ए.सी.ई.एम. ( )
नवलगढ़

21

जवाब बहस में वकील अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 ने आवेदकगण की बहस का विरोध प्रकट किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। अनावेदकगण अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि आवेदकगण ने गलत वंशावली पेश की है। आवेदकगण ने टीकूराम व रूपाराम की बहनो को पक्षकार नहीं बनाया तथा गुल्ला, अन्ना व सुमेर की बहनो को भी पक्षकार नहीं बनाया। इस प्रकार आवेदकगण ने गलत वंशावली पेश की है। यहां यह भी गलत है कि उक्त भूमि पैत्रिक हो। मौके पर मौखिक बंटवारा करके बंटवारे के अनुसार काश्त व काबिज है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर मकान, कुंआ व बिजली लगा हुई है।

ग्राम झाझड़ में खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 कुल किता 8 कुल रकबा 5.16 हैक्टर भूमि में सुमेर पुत्र टीकूराम का 1/12 हिस्सा था, जिसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 1.12.99 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा जवाबदेहन्दागण को विक्रय कर दिया व विक्रय-पत्र तस्दीक करवा दिया तथा मौके पर खसरा नम्बर 263 रकबा 0.43 हैक्टर का कब्जा दे दिया जिस पर जवाबदेहन्दागण काबिज काश्त है तथा राजस्व रिकॉर्ड भी जवाबदेहन्दागण के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार खाता सं0 748 में सुमेर के 1/12 हिस्से की 0.43 हैक्टर भूमि जवाबदेहन्दा ने क्रय की तथा बाद खरीद सुमेर ने मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 263 में 0.43 हैक्टर पर कब्जा दे दिया तथा खाता सं0 220 जिसके नये खसरा नम्बर 367, 368, 369, 370 कुल किता 4 कुल रकबा 3.68 हैक्टर इस भूमि में सुमेर का 7/14 हिस्सा था यानि सुमेर का सम्पूर्ण रकबा 0.61 हैक्टर था, जिसमें से उसने 0.45 हैक्टर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जवाबदेहन्दागण को बेच दिया तथा मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 369 में से 0.45 हैक्टर भूमि पर कब्जा जवाबदेहन्दा को दे दिया, उसके बाद वादीगण जवाबदेहन्दा के पास आये तथा कहा कि आप की जमीन भी दो जगह है और हमारी जमीन भी दो जगह है तो हम आपस में अदला बदली कर लेते है तो आवेदकगण ने जवाबदेहन्दा की खसरा नम्बर 369 की जमीन ले ली तथा इसके बदले में जवाबदेहन्दा को खसरा नम्बर 263 में अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि जवाबदेहन्दा को दे दी। इस प्रकार इस अदला बदली के आधार पर जवाबदेहन्दा खाता सं0 748 के खसरा नम्बर 263 रकबा 0.88 हैक्टर भूमि पर काबिज है तथा आवेदकगण खसरा नम्बर 369 की जवाबदेहन्दा की जमीन अदला बदली के आधार पर काबिज है। इस प्रकार जब खाता सं0 748 के खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 की भूमि में आवेदक ने अपना हिस्सा अदला बदली में जवाबदेहन्दा को 1999 में दे दिया व बदले में 369 की जमीन ले ली तो इस खाते में उनकी ना तो कोई जमीन है और ना ही काश्त व कब्जा है और ना ही हक व हिस्सा है। इसलिये इस भूमि में 1/12 हिस्से का बंटवारा किये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, जब इस जमीन पर आवेदकगण का कोई काश्त, कब्जा है ही नहीं, काश्त व कब्जा जवाबदेहन्दा का है, इसलिये जवाबदेहन्दा को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

खसरा नम्बर 639 व 641 पुराने जिनके नये खसरा नम्बर 367, 368, 369, 370 भूमि में 1/2 हिस्से टीकू का तथा 1/2 हिस्सा माला, कालू, बेगा, मोहन का है। इस जमीन में सुमेर का 1/6 हिस्सा था, जिसमें से उसने 0.45 हैक्टर भूमि जवाबदेहन्दा को विक्रय कर दी व खसरा नम्बर 369 में 0.45 हैक्टर का कब्जा जवाबदेहन्दा को दे दिया, जो जवाबदेहन्दा ने आवेदकगण से अदला बदली की तब खसरा नम्बर 369 का रकबा 0.45 हैक्टर आवेदकगण को दे दी तथा बदले में खसरा नम्बर 263 में वादीगण की जमीन जवाबदेहन्दा को दी, इन तथ्यो को आवेदकगण ने जानबुझकर छुपाकर दावे में दर्ज नहीं किया है। आवेदकगण ने क्लीन हैण्ड से वाद व प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया है जो खारीज होने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजो एवं [illegible] अवलोकन से यह स्पष्ट होता है आवेदकगण ने गलत वंशावली पेश की है। आवेदकगण ने टीकूराम व रूपाराम की बहनो को पक्षकार नहीं बनाया तथा गुल्ला, अन्ना व सुमेर की बहनो को भी पक्षकार नहीं बनाया। इस प्रकार आवेदकगण ने गलत वंशावली पेश की है। यहां यह भी गलत है कि उक्त भूमि पैत्रिक हो। मौके पर मौखिक बंटवारा करके बंटवारे के अनुसार काश्त व काबिज है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर मकान, कुंआ व बिजली लगा हुई है।

ग्राम झाझड़ में खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 कुल किता 8 कुल रकबा 5.16 हैक्टर भूमि में सुमेर पुत्र टीकूराम का 1/12 हिस्सा था, जिसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by [illegible]
Date: 2022.08.25 16:46:24 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

1.12.99 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा अनावेदकगण को विक्रय कर दिया व विक्रय–पत्र तस्दीक करवा दिया तथा मौके पर खसरा नम्बर 263 रकबा 0.43 हैक्टर का कब्जा दे दिया जिस पर अनावेदकगण काबिज काश्त है। राजस्व रिकॉर्ड भी अनावेदकगण के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार खाता सं0 748 में सुमेर के 1/12 हिस्से की 0.43 हैक्टर भूमि अनावेदकगण ने क्रय की तथा बाद खरीद सुमेर ने मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 263 में 0.43 हैक्टर पर कब्जा दिया है तथा खाता सं0 220 जिसके नये खसरा नम्बर 367, 368, 369, 370 कुल किता 4 कुल रकबा 3.68 हैक्टर भूमि में सुमेर का 7/14 हिस्सा था यानि सम्पूर्ण रकबा 0.61 हैक्टर था, जिसमें से 0.45 हैक्टर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनावेदकगण को बेच दिया तथा मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 369 में से 0.45 हैक्टर भूमि पर कब्जा अनावेदकगण को दे दिया, उसके बाद वादीगण अनावेदकगण द्वारा वर्णित भूमियां अदला बदली करने पर आवेदकगण ने अनावेदकगण की खसरा नम्बर 369 की जमीन ले ली तथा इसके बदले में अनावेदकगण को खसरा नम्बर 263 में अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अनावेदकगण को दे दी। इस प्रकार इस अदला बदली के आधार पर अनावेदकगण खाता सं0 748 के खसरा नम्बर 263 रकबा 0.88 हैक्टर भूमि पर काबिज है तथा आवेदकगण खसरा नम्बर 369 की अनावेदकगण की जमीन अदला बदली के आधार पर काबिज है। इस प्रकार जब खाता सं0 748 के खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 की भूमि में आवेदक ने अपना हिस्सा अदला बदली में अनावेदकगण को 1999 में दे दिया व बदले में 369 की जमीन ले ली है तो इस खाते में आवेदकगण काश्त व कब्जा नही होता है। इसलिये इस भूमि में 1/12 हिस्से का बंटवारा किये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, खसरा नम्बर 639 व 641 पुराने जिनके नये खसरा नम्बर 367, 368, 369, 370 भूमि में 1/2 हिस्से टीकू का तथा 1/2 हिस्सा माला, कालू, बेगा, मोहन का है। इस जमीन में सुमेर का 1/6 हिस्सा था, जिसमें से उसने 0.45 हैक्टर भूमि अनावेदकगण को विक्रय कर दी व खसरा नम्बर 369 में 0.45 हैक्टर का कब्जा अनावेदकगण को दे दिया, जो अनावेदकगण ने आवेदकगण से अदला बदली की तब खसरा नम्बर 369 का रकबा 0.45 हैक्टर आवेदकगण को को मिली है। बदले में खसरा नम्बर 263 में वादीगण की जमीन अनावेदकगण को दी है। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

यहां प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन कि बिन्दुओं का विवेचन एक साथ किया जा रहा है :–

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :–** ग्राम झाझड़ में खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 कुल किता 8 कुल रकबा 5.16 हैक्टर भूमि में सुमेर पुत्र टीकूराम का 1/12 हिस्सा था, जिसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 31.12.99 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा अनावेदकगण को विक्रय कर दिया व विक्रय–पत्र तस्दीक करवा दिया तथा मौके पर खसरा नम्बर 263 रकबा 0.43 हैक्टर का कब्जा दे दिया जिस पर अनावेदकगण काबिज काश्त है। राजस्व रिकॉर्ड भी अनावेदकगण के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार खाता सं0 748 में सुमेर के 1/12 हिस्से की 0.43 हैक्टर भूमि अनावेदकगण ने क्रय की तथा बाद खरीद सुमेर ने मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 263 में 0.43 हैक्टर पर कब्जा दिया है तथा खाता सं0 220 जिसके नये खसरा नम्बर 367, 368, 369, 370 कुल किता 4 कुल रकबा 3.68 हैक्टर भूमि में सुमेर का 7/14 हिस्सा था यानि सम्पूर्ण रकबा 0.61 हैक्टर था, जिसमें से 0.45 हैक्टर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनावेदकगण को बेच दिया तथा मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 369 में से 0.45 हैक्टर भूमि पर कब्जा अनावेदकगण को दे दिया, उसके बाद वादीगण अनावेदकगण द्वारा वर्णित भूमियां अदला बदली करने पर आवेदकगण ने अनावेदकगण की खसरा नम्बर 369 की जमीन ले ली तथा इसके बदले में अनावेदकगण को खसरा नम्बर 263 में अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अनावेदकगण को दे दी। इस प्रकार इस अदला बदली के आधार पर अनावेदकगण खाता सं0 748 के खसरा नम्बर 263 रकबा 0.88 हैक्टर भूमि पर काबिज है तथा आवेदकगण खसरा नम्बर 369 की अनावेदकगण की जमीन अदला बदली के आधार पर काबिज है। इस प्रकार जब खाता सं0 748 के खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 की भूमि में आवेदक ने अपना हिस्सा अदला बदली में अनावेदकगण को 1999 में दे दिया व बदले में 369 की जमीन ले ली है तो इस खाते में आवेदकगण काश्त व

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:16:24 IST
Reason: Self Attested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ़

कब्जा नही होता है। इसलिये इस भूमि में 1/12 हिस्से का बंटवारा किये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, खसरा नम्बर 639 व 641 पुराने जिनके नये खसरा नम्बर 367, 368, 369, 370 भूमि में 1/2 हिस्से टीकू का तथा 1/2 हिस्सा माला, कालू, बेगा, मोहन का है। इस जमीन में सुमेर का 1/6 हिस्सा था, जिसमें से उसने 0.45 हैक्टर भूमि अनावेदकगण को विक्रय कर दी व खसरा नम्बर 369 में 0.45 हैक्टर का कब्जा अनावेदकगण को दे दिया, जो अनावेदकगण ने आवेदकगण से अदला बदली की तब खसरा नम्बर 369 का रकबा 0.45 हैक्टर आवेदकगण को को मिली है। बदले में खसरा नम्बर 263 में वादीगण की जमीन अनावेदकगण को दी है। आवेदकगण ने गलत वंशावली पेश की है। आवेदकगण ने टीकूराम व रूपाराम की बहनो को पक्षकार नहीं बनाया तथा गुल्ला, अन्ना व सुमेर की बहनो को भी पक्षकार नहीं बनाया। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में बनना प्रतीत नही होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु आवेदकगण के विरूद्ध तय किये जाते है।

अपूरणीय क्षति :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में नही होने से अपूरणीय क्षति घटित होनो प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:16:24 IST
Reason: SelfAttested